

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(175/18)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोनेर, खण्ड सांगानेर, जिला जयपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश रवीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 10.04.2018 से 09.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 10.04.2020 से 28.07.2020 तक 110 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 29.07.2020 से 07.08.2020 तक 10 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
4. दिनांक 08.08.2020 से 09.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

ॐ -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(175/18)/2018/ 239

दिनांक:- 7/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर (जिला जयपुर)।
3. प्रधानाचार्य, बीएलएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर